रजिस्ट्री सं. डी. एस.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 282] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 19, 1993/श्रावण 28, 1915
No 282] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 19, 1993/SRAVANA 28, 1915

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(कंपनी कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 1993

सा का नि 563 (अ) .—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 637 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 297 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन केन्द्रीय सरकार की शक्तियों और कृत्यों को मुम्बई, कलकत्ता, मद्रास और कानपुर स्थित क्षेत्रीय निदेशकों को प्रत्यायोजित करती है।

2 यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[सं. 3/31/93-सी एल.-V]
आर डी. जोशी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th August, 1993

G.S.R. 563(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 637 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby delegates to the Regional Directors at Bombay, Calcutta, Madras and Kanpur, the powers and functions of the Central Government under the proviso to sub-section (1) of section 297 of the said Act.

2. This notification shall come into force from the date of its publication in Official Gazette.

[No. 3|31|93-CL.V]

R. D. JOSHI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993